प्रेस नोट दिनांक-15.10.2025

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

▶️ थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अवैध रुप से भण्डारित कुल वजन 775 किलोग्राम पटाखे को बरामद करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चंदौली-आदित्य लाग्हें, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा गल्ला मंडी चौराहे पर आगामी त्योहार के दृष्टिगत क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखे के कारोबार के सम्बन्ध में चेकिंग किया जा रहा था कि उसी समय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुगलसराय अन्तर्गत नईबस्ती के पास कटरे मे एक व्यक्ति गुरप्रीत निवासी पूर्वी बाजार जो दुकान खोलकर अवैध पटाखे का भंडारण किया हुआ है। उक्त सूचना पर थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर उक्त दुकान पर जाकर देखा गया तो बोरियो- गत्तो में भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए है तथा चार व्यक्ति उक्त दुकान मे मौजूद है। मौजूदा पुलिस टीम की मदद से दुकान मे उपस्थित चारो व्यक्तियों को अवैध रुप से भण्डारित पटाखो के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान नाम गुरुप्रीत सिंह पुत्र जसबीर सिंह निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 48 वर्ष। 2.नाम सुरेश कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पथरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 42 वर्ष, 3.नाम मनप्रीत सिंह पुत्र गुरुप्रीत सिंह निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष तथा 4. नाम मनीष पुत्र पारस यादव निवासी गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष के रुप में हुई है। तथा दुकान मे मौजूद बोरियो व गत्तो व रैक में रखे पटाखो को देखा गया तो बोरियो व गत्तो के अन्दर छिपाकर भिन्न भिन्न ब्राण्ड के पटाखे , फुलझड़ी, अनार रखे गये है। जिसमें अलग अलग ब्रान्ड के क्रमशः मुर्गा छाप ग्राउन्ड चकरी, स्पाइनर स्पेशल चकरी, रोविन्स ड्रैगन फाइट चटर पटर , सुप्रीम सुपर डीलक्स अनार , मगर छाप अनार, 6 शाट चिदम्बरम पटाखा, चिदम्बरम हाइड्रोजन बम आदि बरामद हुआ । सभी ब्राण्डों के कुल पटाखो का वजन कराया गया तो कुल 775 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद हुआ। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0स0 513/2025 धारा 287 BNS एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 (ख) में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.गुरुप्रीत सिंह पुत्र जसबीर सिंह निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 48 वर्ष
2.सुरेश कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पथरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 42 वर्ष
3. मनप्रीत सिंह पुत्र गुरुप्रीत सिंह निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष
4.मनीष पुत्र पारस यादव निवासी गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग–

1.मु0अ0स0 513/2025 धारा 287 BNS एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 (ख) थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदग –

1. 775 किलोग्राम पटाखा भिन्न भिन्न ब्राण्ड के पटाखे, फुलझड़ी, अनार रखे गये है। जिसमें अलग अलग ब्रान्ड के क्रमशः मुर्गा छाप ग्राउन्ड चकरी, स्पाइनर स्पेशल चकरी, रोविन्स ड्रैगन फाइट चटर पटर, सुप्रीम सुपर डीलक्स अनार, मगर छाप अनार, 6 शाट चिदम्बरम पटाखा, चिदम्बरम हाइड्रोजन बम बरामद हुआ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 गगन राज सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।

2.उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 हरेन्द्र कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.का0 बन्टी सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।